प्रकरण संख्या 49/2015 श्रीमती कंकु बनाम गुलाब

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.09.2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस एवं रेकार्ड के अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि प्रकरण में पत्रावली साक्ष्य वादी जिरह में दिनांक 20.06.2012 से लेकर दिनांक 22.06.2015 तक लम्बित रही। दिनांक 22.06.2015 को पत्रावली लोक अदालत में रखी जाकर वादी की अनुपस्थिति में वादी की साक्ष्य बन्द की जाकर अधिनस्थ न्यायलय द्वारा अंकित किया गया कि "पत्रावली का गम्भीरता से अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 20.06.2012 करीब 3 वर्ष से अधिक समय से साक्ष्य वादी के जिरह एक ही बिन्दु पर लम्बित है। अतः यह स्वतः स्पष्ट है कि वादी तथा प्रतिवादीगण वाद के सन्बन्ध में गम्भीर नहीं है तथा अनेको बार न्यायालय का कीमती समय जाया किया गया है। अतः प्रकरण को और अधिक लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।" अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की अनुपस्थिति में इस प्रकार का निर्णय पारित करना निसंदेह प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रक्रिया के प्रतिकूल है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय एवं स्थापित विधिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.06.2015 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर अपीलान्ट/वादी को पाबन्द किया जाता है कि वह इस न्यायालय द्वारा तय शुदा तारीख पर अपने समस्त गवाहान के साथ अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें तथा रेस्पोन्डन्ट/प्रतिवादीगण के अधिवक्ता उक्त दिवस को समस्त साक्ष्य से जिरह करें तथा प्रतिवादीगण की साक्ष्य एक माह की अवधि में लेकर अधिनस्थ न्यायालय गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 08.11.2018 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 07.09.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

<u>प्रकरण संख्या 49/2015 श्रीमती कंकु बनाम गुलाब</u>

<u>प्रकरण संख्या 49/2015 श्रीमती कंकु बनाम गुलाब</u>